न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 45/2024(GCMS 2024/171)
(आरटीआई संख्या 212425508213544)

श्री गोविन्दनारायण पुत्र विश्वनाथ किराडू, कोठारी अस्पताल के सामने की गली, हरिओम मेडिकल स्टोर के पीछे, बीकानेर

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोविन्दनारायण स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.05.2024 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./40/2024/259 दिनांक 23.05.2024 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का सम्बन्ध सूरतगढ़ क्षेत्र से सम्बन्धित होने के कारण, अपीलार्थी का मूल प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार, सूरतगढ़ को हस्तान्तरित कर दिया गया। तहसीलदार, सूरतगढ ने अपीलार्थी को वांछित सूचना निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ से वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने, राजकीय अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं उसे क्षतिपूर्ति राशि दिलवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गोविन्दनारायण ने सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.05.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न 02 बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.01.23 15:46:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

1. ग्राम रघुनाथपुरा तहसील राजस्व, सूरतगढ के खसरा नं. 46, 49 व 99 में माईंस विभाग को चूना खनन हेतु फर्टीलाजर कोरपरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड जो जोधपुर के मध्य लीजडीड हुई है। कृपया लीज डीड की छायाप्रतियां उपलब्ध करवाने की व्यवस्था फरमावें। सुलभ संदर्भ हेतु वर्तमान जमाबन्दी में लीजडीड का उल्लेख किया गया है, कि छायाप्रति प्रेषित है। वरवक्त लीजडीड़ का अंकन किया गया है, कि जमाबन्दी की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें।
2. तहसील सूरतगढ़ से उपरोक्त खसरों से बनी सूची नम्बर 04 की छाया प्रतियां उपलब्ध करवाने की व्यवस्था फरमावें। उक्त भूमि का नामान्तकरण फर्टीलाजर कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के नाम दर्ज हुआ, उसकी छाया प्रति उपलब्ध करवाने की व्यवस्था फरमावें (वर्तमान में रघुनाथपुरा के चक बसे बने वह वर्तमान में उप तहसील राजियासर तहसील सूरतगढ़ में है)

तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ ने अपने पत्रांक भू.अ./सूचका अधिकार/2024/9392 दिनांक 12.06.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक विशिष्टियां/जानकारी यथा — आदेश पारितकर्त्ता सक्षम अधिकारी [illegible] नाम, कार्यालय का नाम, प्रकरण संख्या, प्रकरण का अनवान/शीर्षक, [illegible] मुकदमा, निर्णय दिनांक आदि अंकित नहीं है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) अनुसार लोक प्राधिकरण द्वारा वही सूचना दी जा सकती है जो दस्तावेज, फ्लॉपी, सीडी अथवा अन्य रूप में संग्रहित है। कार्मिक विभाग के परिपत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:36:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

दिनांक 10.07.2008 अनुसार काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अथवा प्रश्न पूछना सूचना का अधिकार के दायरे में नहीं आता है। सूचना जिस रूप में संधारित है, उसी रूप में दी जा सकती है। खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर सूचना देय नहीं है। डॉ. सेल्सा पिन्टो बनाम लोक सूचना अधिकारी में मा. गोवा उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार सूचना सृजित करके नहीं दी जा सकती। पूर्ण विशिष्टियां आवश्यक है। आप द्वारा वांछित सूचना प्रश्नात्मक है। प्रार्थना पत्र में किसी निशिचित अभिलेख यथा–जमाबंदी, गिरदावरी अवाप्ति अवार्ड, रजिस्टर आदि की मांग नहीं की गई है।

यह उलेखनीय है कि मा. राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपील संख्या RIC/SGNG/A/2023/105609 अनवान राकेश सैनी बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सूरतगढ़ में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2024 अनुसार राजस्व विभाग के अभिलेखों संबन्धी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए विभागीय नियम निर्धारित है, अतः अपीलार्थी, वांछित अभिलेखों की प्रति, विभागीय नियमानुसार, निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर संबन्धित नियंत्रण अधिकारी से प्राप्त कर सकते है।

तहसीलदार(भू.अ.), सूरतगढ ने अपीलाथी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न [illegible] सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:36:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार (भू.अ.),सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि** अपीलार्थी यदि आपके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख से सम्बन्धित वांछित सूचना हेतु विशिष्टियां उपलब्ध करवा देवें तो उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार देय सूचना उसे उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.01 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:36:35 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर